राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1574/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पटवारी डिस्ट्रिब्यूटर्स, चौमूं, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत–के, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2015	**एकलपीठ** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 114/अपील्स–III/स्थगन/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 18.07.2015 को सर्वेक्षण किया जाने पर मौके पर सिगरेट 33MM व 45MM कम पायी गयी। उक्त माल अघोषित बिक्री किया जाना अवधारित करते हुए सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–के, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए कर व शास्ति जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.07.2015 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25 व 61 पारित करते हुए कर रूपये 1,01,700/– एवं शास्ति रूपये 2,03,400/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त मांग राशि में से वसूली योग्य मांग राशि रूपये 2,94,930/– की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति राशि रूपये 2,03,400/– की सीमा तक स्थगन आदेश जारी करते हुए शेष राशि वसूलनीय अवधारित की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 91,530/– की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विक्रम गोगरा ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना किये बगैर सारी कार्यवाही एक ही दिन में निष्पादित करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध भारी मांग कायम की गयी है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनुपालना में अपीलार्थी को सुनवाई का मौका भी लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1574/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पटवारी डिस्ट्रिब्यूटर्स, चौमूं, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत–के, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2015	नहीं दिया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी बिना कोई कारण अंकित किये शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन आदेश जारी करते हुए शेष राशि का स्थगन अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 91,530/– की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस की पालना में अपना अपराध स्वीकार करते हुए मौके पर ही कर व शास्ति राशि जमा कराने की स्वीकारोक्ति की गयी है। जिसके पश्चात कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर व शास्ति आरोपण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2009) 25 Tax Update 20 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, जालौर** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लिखित स्वीकारोक्ति के पश्चात प्रकरण में किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं रहती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। अतः कर राशि की सीमा तक सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णयों, उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त तथा विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 17.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	